भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *85
07.02.2020 को उत्तर के लिए

सामाजिक वानिकी योजनाएं

***85 श्री तालारी रंगैय्या :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सामाजिक वानिकी योजनाओं के अंतर्गत मान्यताप्राप्त गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से देश में विभिन्न महानगरों में पौधरोपण को बढ़ावा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विभिन्न महानगरों में वन सम्पदा का संरक्षण एवं विकास करने हेतु सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

'सामाजिक वानिकी योजनाओं' के संबंध में श्री तालारी रंगैय्या द्वारा दिनांक 07.02.2020 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *85 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नगर वन उद्यान योजना, स्कूल नर्सरी योजना इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के माध्यम से कई महानगरीय शहरों सहित देश में पौध रोपण को प्रोत्साहित करता है जिससे शहरी वानिकी, खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण तथा कृषि योग्य भूमि पर बंद लगाने को बढ़ावा मिलता है, जिसमें स्थानीय समुदायों, शैक्षिक संस्थानों और

स्थानीय निकायों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा, सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों से महानगरों सहित देश में वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास को योगदान प्राप्त होता है :

i. वन और वन्यजीवों के परिरक्षण और संरक्षरण के लिए, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लागू होने वाले अन्य केन्द्रीय/राज्य कानूनों सहित विभिन्न कानूनों को, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है। मंत्रालय, दावानल से बचाव के लिए दावानल निवारण एवं प्रबंधन योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

ii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दो प्रमुख वनीकरण योजनाओं को लागू कर रहा है, नामत: लोगों की भागीदारी के माध्यम से अवक्रमित वनों में पौध रोपण के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) जिसके तहत अन्य उप-मिशनों के अतिरिक्त, शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वृक्षावरण में वृद्धि करने के लिए एक विशिष्ट उप-मिशन है। वर्ष 2000 में एनएपी की शुरूआत के बाद से एनएपी के तहत लगभग 3874 करोड़ रू. के निवेश के साथ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में वनीकरण करने के लिए 2 मिलियन हेक्टे. से अधिक क्षेत्र को मंजूरी दी गई है और जीआईएम के तहत, 2011-12 से 2018-19 तक राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 300 करोड़ रू. की धनराशि जारी की गई है। चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के दौरान, विभिन्न राजयों को पौधरोपण कार्यकलाप आरंभ करने हेतु 128 करोड़ की धनराशि जारी की गई है।

iii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वर्ष 2015-16 में आरंभ की गई स्कूल पौधशाला योजना और नगर वन उद्यान योजना के तहत भी लोगों की भागीदारी के माध्यम से पौधरोपण/वनीकरण को प्रोत्साहित करता है। इन योजनाओं के तहत क्रमश: 1.54 करोड़ रू. (505 स्कूल पौधशालाओं के लिए) और 51.24 करोड़ रू. (46 नगर वन उद्यानों के लिए) की धनराशि जारी की गई है।

iv. शहरी वानिकी, प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत एक अनुमेय कार्यकलाप है। भारत सरकार ने प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 के अनुसार राष्ट्रीय कोष से 27 राज्य कोषों को संबंधित राज्यों के अंश के रूप में 47,436 करोड़ रू. की धनराशि का संवितरण किया है।

v. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को भी परामर्श दिया गया है कि वे विभिन्न योजनाओं के तहत और स्थानीय समुदाओं, शैक्षिक संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय निकायों आदि को शामिल करके वन क्षेत्रों के भीतर और बाहर उपलब्ध समस्त खाली भूमि पर पौधरोपण करें।

vi. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, शहरों के पुनरूद्धार एवं रूपांतरण के लिए अटल मिशन (एएमआरयूटी) के तहत मिशन शहरों में 2628 एकड़ भू-क्षेत्र में 1437 पार्क विकसित किए गए हैं। इसके अलावा, 775 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) ने हाल ही में जलसंरक्षण के लिए आरंभ किए गए जल शक्ति अभियान (जेएसए) में हिस्सा

लिया। शहरी स्थानीय निकायों ने जेएसए के तहत सड़कों के किनारे जल निकायों के आस-पास, खाली पड़े सार्वजनिक स्थानों आदि में पौधारोपण सहित, पौधरोपण कार्यक्रम शुरू किए हैं।

vii. इसके अलावा, चूंकि पौधरोपण एक बहु-विभागीय, बहु-ऐजेंसी कार्यकलाप है, अत: उसे बहु-क्षेत्रीय रूप से अन्य मंत्रालयों संगठनों के विभिन्न कार्यक्रमों/निधीयन स्रोतों के साथ-साथ राज्य योजना बजटों के माध्यम से भी शुरू किया जा रहा है।

वनीकरण के विभिन्न उपायों और विभिन्न ऐजेंसियों के सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप वन और वृक्षावरण में बढ़ते रूझान को बनाए रखने में मदद मिली है, जो हाल ही में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2019 से स्पष्ट है, जिसमें देश में आईएसएफआर – 2017 की तुलना में वन और वृक्षावरण में 5,188 वर्ग किमी की वृद्धि दर्शाई गई है।

******